

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्या:- 2/अ0प्र0-8-08/22 2150 /पटना, दिनांक :- 6-10-23

अपीलकर्ता (संवेदक) श्री श्वेताम्बू गौतम, ग्राम एवं पो0-अरई, दाउदनगर द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर द्वितीय अपील अभ्यावेदन पर सचिव-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 24.08.2022 को सुनवाई के क्रम में यह पाया गया कि पी0एम0जी0एस0वाई अंतर्गत पटना औरंगाबाद से सतपुरा रोड जिसकी कार्य प्रारंभ की तिथि 22.05.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21.05.2014 है, में अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरवल द्वारा आवंटन की मांग साढ़े छः वर्षों के बाद दिनांक 24.12.2020 को की गई।

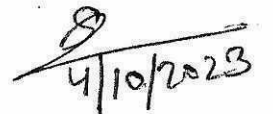
विलंब से आवंटन की मांग किये जाने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरवल से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि उक्त योजना कार्य में ATR लगा होने के कारण दिनांक 06.08.2019 तक आवंटन की मांग नहीं की गई परन्तु दिनांक 06.08.2019 को ATR Regrade होने के लगभग 16 माह विलंब से दिनांक 24.12.2020 को आवंटन की मांग किया जाना लापरवाही का द्योतक है। दिनांक 13.04.2020 से 30.06.2022 तक श्री शत्रुघ्न प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरवल के प्रभार में थे।

अतः कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य प्रमंडल अरवल पदस्थापन अवधि में अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों पर श्री शत्रुघ्न प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरवल से विभागीय पत्रांक 1313 दिनांक 26.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

श्री प्रसाद द्वारा पत्रांक 712 दिनांक 08.06.2023 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा पत्रांक 1437 दिनांक 24.12.2020 के माध्यम से संवेदक को भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में राशि की अधियाचना अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राड को भेजा गया। साथ ही श्री प्रसाद द्वारा अपने प्रभार अवधि में दिनांक 15.04.2020 से 24.12.2020 तक कोरोना के कारण लॉकडाउन रहने तथा सीमित प्रतिबंधों के साथ कार्यालय का कार्य संपादित करने का उल्लेख किया गया।

श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि विलंब से आवंटन की अधियाचना भेजने के पर्याप्त कारण है। अतएव श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

अतः शत्रुघ्न प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल मुजफ्फरपुर के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।



(संजय दूबे)
विशेष सचिव



ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-8-08/22 2150 /पटना, दिनांक:- 6-10-23

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल/
प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री शत्रुघ्न प्रसाद, तदेन
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/10/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 2/अ0प्र0-8-08/22 2150

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

/पटना/दिनांक:- 6-10-23
5/10/2023
विशेष सचिव

6
आइ०टी० मैनेजर